

Given By/Handled By Rana Sir

उत्तराखण्ड शासन  
आवास अनुभाग-2  
संख्या : 122/V-1/2017-48(आ0)/2017  
देहरादून दिनांक, 25 जुलाई, 2017

कार्यालय आदेश

भूसंपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम-2016 की धारा 22 के प्राविधानुसार भूसंपदा नियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त किये जाने हेतु चयन समिति निम्नवत् गठित की जाती है:-

- 1 न्यायमूर्ति यू0सी0 ध्यानी मा0 न्यायाधीश, उच्च न्यायालय नैनीताल (मा0 मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखण्ड, उच्च न्यायालय द्वारा नामित।
- 2 प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय उत्तराखण्ड शासन (पदेन)।
- 3 सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन (पदेन)।

(एस0 रामास्वामी)  
मुख्य सचिव।

संख्या /V-1/2017-48(आ0)/2017 तददिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को उनके पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2017 के क्रम में संज्ञानार्थ।
2. समस्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर स्थानीय आयुक्त, नई दिल्ली।
6. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून।
7. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल।
10. सचिव, दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल झील विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पाथरी)  
अपर सचिव।